

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन तुंग 2) विभाग

क्रमांक: एफ.2(1)साप्र/2/2013

जयपुर, दिनांक 26 NOV 2013

--: आदेश :-

निम्नांकित अधिकारियों को उनकी द्वितीय श्रेणी वरियतानुसार उनके नाम के समुख अंकित राजकीय आवास उनके निवास हेतु नियमानुसार किराये पर निम्नलिखित शर्तों के आधार पर एतद्वारा आवंटित/परिवर्तित किये जाते हैं :—

क्र. सं.	वरिष्ठता संख्या	नाम व पद	प्रस्तावित आवास संख्या	संवानिवृत्त दिनांक
1	28/2012	श्री राजपाल सिंह चौहान आरएएस अतिरिक्त रजिस्ट्रार (प्रथम) सहकारिता विभाग, जयपुर।	एन-18, गांधीनगर, जयपुर (601, मॉडल टाउन, मालवीयनगर के स्थान पर)	31.1.2016
2	43/2012	डॉ गौरव कुमार गुप्ता सहायक आचार्य (गेस्ट्रोएन्टॉलोजी) सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर।	5/6, हीराबाग जयपुर	31.5.2042
3	45/2012	डॉ राजकुमार यादव सहायक आचार्य रेडियोडायग्नोसिस सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर।	II/36, गांधीनगर	30.9.2034
4	3/2013	श्री मंगल चन्द्र मीणा सहायक शासन सचिव वित्त (नियम डिविजन) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।	एम-14, गांधीनगर	31.5.2017
5	5/2013	श्री बाबू लाल मीणा आरएएस उप शासन सचिव (न्याय विभाग) शासन सचिवालय, जयपुर।	II/8, गांधीनगर	30.4.2019

शर्तः—


- आवास का कब्जा आवास आवंटन के 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
- उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूलों नियम, 1958 के अन्तर्भृत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
- सेवानिवृत्ति दिनांक से दो माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
- जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
- स्वयं तथा पत्नी/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बना जाने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
- चूंकि उक्त अधिकारी को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(ग)ए के अनुसार मैं आवास के रिक्त होने की तिथि से 8 दिवस में आवंटन स्थीकार करने में असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पान्त्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भरता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञा हो तो रोक दिया जाएगा।
- सम्बन्धित विभाग/घटक/आहरण वित्तरण अधिकारी— कृपया आवंटी के द्वारा आवास का आवास के रिक्त होने की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। अन्यथा निर्धारित अवधि उपरान्त आवंटी अधिकारी का मकान किराया भरता चन्द्र करने के आदेश प्रस्तुत कर प्रति इस विभाग को भिजावाने का श्रम लेंगे।
- आवंटी को आवंटित राजकीय आवास संख्या का कब्जा लेने से पूर्व संबंधित अधिकारी अभियन्ता/आवासीय अभियन्ता को यह घोषणा करनी होगी—
 - आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे हैं।
 - आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई स्वयं/पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम से जयपुर में निजी आवास निर्मित नहीं किया जाया है।
- उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य शर्तें भी मान्य होगी।

राजपाल की आझा से,

राजपाल
(राजन्द्र प्रसाद खोरानिया)
विशिष्ट शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सम्भागीय आयुक्त, जयपुर।
2. जिला कलवर्टर, जयपुर।
3. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर।
4. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
5. पंजीयक सहकारिता विभाग, सहकार भवन, राजस्थान, जयपुर।
6. शासन उप सचिव, कार्मिक (क-4) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
7. नियंत्रक, सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर।
8. अधीक्षक, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर।
9. शासन उप सचिव, कार्मिक (क-4 / 2) विभाग, जयपुर।
10. शासन उप सचिव, न्याय विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
11. वित्तीय सलाहकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
12. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, शासन सचिवालय/जयपुर शहर, जयपुर।
13. अधिशासी अभियन्ता, सा०नि०वि०/जन स्वा०अभि०वि०/जयपुर वि०वि०निगम लि०, गांधीनगर/मालवीयनगर/हीराबाग जयपुर।
14. संबंधित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी को भेजकर लेख है कि आवंटित आवास का नियमानुसार किराया कटौती की कार्यवाही को सुनिश्चित करायें साथ ही आवंटी द्वारा निर्धारित अविधि में कब्जा लेने में असफल रहने की स्थिति में आवंटन आदेश की शर्त संख्या-6 की पालना को भी अमल में लावें।
15. निदेशक, उद्यान विज्ञ, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
16. प्रबन्ध निदेशक, राजकॉर्म, प्रथम तल योजना भवन, जयपुर-कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाइट पर अपडेट कराने का श्रम करावें।
17. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, चौकी, गांधीनगर/मालवीयनगर/हीराबाग जया... को भेजकर लेख है कि कृपया आदेश की शर्त संख्या-8 की पालना को सुनिश्चित कर कब्जा देवें। कृपया आदेश की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर चस्पा करावें।
18. श्री राजपाल सिंह चौहान निवासी-601, मॉडल टाउन, मालवीय नगर, जयपुर-कृपया परिवर्तित आवास संख्या एन-18, गांधीनगर जयपुर का कब्जा लेकर पूर्व आवंटित आवास रिवर्त कर सूचित करावें।
19. संबंधित अधिकारीगण।
20. शासन सहायक सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-5) विभाग।
21. प्रबन्धक, सर्किट हाउस जयपुर/ट्रांजिट हॉस्टल, गांधीनगर, जयपुर।
22. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, साप्रवि।
23. रक्षित पत्रावली।


(मुख्य लाल शर्मा) 26/11/13
शासन सहायक सचिव